बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधार जनगणना के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् कुल 8.62 करोड़ पात्र लाभुकों को लक्षित जन वितरण अन्तर्गत पहचान की गई है।
- माह सितम्बर, 2015 से अतिरिक्त 7378495 चयनित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त लाभार्थियों को राशन कार्ड के आधार पर ही राशन का वितरण।
- NCAER के अनुसार बिहार सबसे कम लीकेज वालों में दूसरा राज्य।
- POIMS द्वारा जन वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त संशोधित आवंटन के विरूद्ध कुल 83441221 पहचान किए गये पात्र व्यक्तियों को सितम्बर, 2015 से खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। शेष अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों हेतु भारत सरकार से खाद्यान्न प्राप्त होने पर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- खाद्यान्न का परिवहन GPS एवं Door Step Delivery योजना द्वारा।